मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

RAJASTHAN MEDICAL SERVICES CORPORATION RMSC
।।सर्वे सन्तु निरामयाः।।
(Government of Rajasthan undertaking)

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005

फोन न:0141–2228066, फैक्स न:0141–2228065 ई–मेल : mdrmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2024-25/316 दिनांक : 09/05/2024

आदेश

M/s Maxwell Life sciences PVT Ltd., T-53 & T-81, M.I.D.C., Tarapur, Boisar, Dist. Palghar-401506 से निविदा क्रमांक F.02(359)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-13/2022/2271 दिनांक 25.07.2022के तहत् औषधि Salbutamol Syrup IP 2mg/ 5ml [432] की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 220 दिनांक 19.04.2023 जारी किया गया था।

उक्त क्रय आदेश की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट करवाए जाने पर औषधि के बैच (ML374, ML375, ML376) को Microbial Contamination test में फेल होने के कारण अमानक कोटि का पाया गया। इस संबंध मे निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया।

प्रयोगशाला से उक्त बैचेज की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 04.04.2024 में रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया। प्रयोगशाला ने औषधि के उक्त बैचेज को अमानक कोटि का घोषित किया है। फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन के तहत Not of Standard Quality(Minor Defects) की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन संबन्धी दिशा-निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.5(2)के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Maxwell Life sciences PVT Ltd., T-53 & T-81, M.I.D.C., Tarapur, Boisar, Dist. Palghar-401506 की औषधि Salbutamol Syrup IP 2mg/ 5ml[432] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 02(दो) वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट (Blacklist) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

नेहा गिरि
आई.ए.एस
प्रबन्ध निदेशक

RajKaj Ref
7018792

Signature valid
Digitally signed by Neha Giri
Designation : Managing Director
Date: 2024.05.08 20:44:58 IST
Reason: Approved

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

RAJASTHAN MEDICAL SERVICES CORPORATION RMSC

।।सर्वे सन्तु निरामयाः।।
(Government of Rajasthan undertaking)

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2024-25/316 दिनांक : 09/05/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक,एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक,पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू. चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
6. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/FDA महाराष्ट्र।
7. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
8. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
9. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं अति.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
10. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
11. M/s Maxwell Life sciences PVT Ltd., T-53 & T-81, M.I.D.C., Tarapur, Boisar, Dist. Palghar-401506
12. आदेश पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक

RajKaj Ref
7018792

Signature valid

Digitally signed by Neha Giri
Designation : Managing Director
Date: 2024.05.08 20:44:58 IST
Reason: Approved